क्रम-संख्या–144(क–6)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 21 अगस्त, 2023

श्रावण 30, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 419/79-वि-1–2023-1-(क)-6-2023

लखनऊ, 21 अगस्त, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 जिससे नगर विकास अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 17 अगस्त, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2023)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य के लिए होगा।

(3) यह दिनांक 29 मार्च, 2023 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 9-क का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में धारा 9-क की उपधारा (5) में उपखण्ड (1) के पश्चात निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

"(2) आवंटन आदेश–(क) पूर्वगामी खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, राज्य सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या का अवधारण करके गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा पदों को नगर पालिकाओं को आवंटित करेगी:–

(ख) उपखण्ड (क) के अधीन आदेश का प्रारूप आपत्तियों के लिये कम-से-कम सात दिन की अवधि के लिये प्रकाशित किया जायेगा।

(ग) राज्य सरकार आपत्तियों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी, परन्तु उन आपत्तियों पर तब तक व्यक्तिगत सुनवाई किया जाना आवश्यक न होगा जब तक कि राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक न समझे और तदुपरान्त यह अंतिम हो जायेगा।

(घ) उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट आदेश का प्रारूप सम्बन्धित जिले में व्यापक परिचालन रखने वाले कम से कम एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा और उसे जिला मजिस्ट्रेट तथा सम्बन्धित नगर पालिका के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा किया जायेगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य एवं कारण

उत्तर प्रदेश में नगर पालिकाओं से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या II सन 1916) अधिनियमित किया गया है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9–क की उपधारा (5) तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 7 की उपधारा (5) में संशोधन, द्वारा नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद पर आरक्षण अवधारित करने की प्रक्रिया में संशोधन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2023, राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2023 को प्रख्यापित किया गया ।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं के लिए आरक्षित किये जाने वाले पदों की अनंतिम अधिसूचना प्रकाशित कर आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात आरक्षण को अंतिम रूप देने के संबंध में उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 9–क की उपधारा (5) के खंड (1) के पश्चात खंड (2) जोड़ने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि राज्य विधानमंडल **सत्र में नही था** और पूर्वोक्त विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए तुरंत विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः **राज्यपाल द्वारा दिनांक** 6 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश **अध्यादेश संख्या** 4 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 419(2)/LXXIX-V-1–2023-1-(ka)6-2023

Dated Lucknow, August 21, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Palika (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on 17 August, 2023. The Nagar Vikash Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT) ACT, 2023

(U.P. Act No. 6 of 2023)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fourth Year of the Republic of India as follows :–

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on March 29, 2023.

Amendment of section 9-A of U.P. Act no. 2 of 1916

2. In sub-section (5) of section 9-A of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, *after* clause (1), the following clause shall be *inserted*, namely :-

"(2) Allotment order-(a) Notwithstanding anything contained in the foregoing clauses the State Government shall, determining, the number of offices to be reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and the Women, by order published in the *Gazette*, allot the offices to the Municipalities.

(b) The draft of order under sub-clause (a) shall be published for objections for a period of not less than seven days.

(c) The State Government shall consider the objections, if any, but it shall not be necessary to hear in person on such objections unless the State Government considers it necessary so to do and thereupon it shall become final.

(d) The draft of order referred to in sub-clause (b) shall be published in at least one daily newspaper having wide circulation in the concerned district and shall also be affixed on the notice board of the offices of the District Magistrate and the concerned Municipality."

U.P. Ordinance no. 4 of 2023

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916) has been enacted to consolidate and amend the law relating to Municipalities in Uttar Pradesh.

In order to amend the procedure for determining the reservation on the post of Chairperson of Municipal Councils and Nagar Panchayats by amending sub-section (5) of section 9-A of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and sub-section (5) of section 7 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Amendment) Ordinance, 2023 was promulgated by the Governor on March 29, 2023.

In relation to finalization of reservation after receiving objections by publishing provisional notification of posts to be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Women it was decided to add clause (2) *after* clause (1) of sub-section (5) of section 9-A of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legeslative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2023 (Uttar Pradesh Ordinance no. 4 of 2023)·was promulgated by the Governor on April 6, 2023.

The Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Bill, 2023 is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 515 राजपत्र–2023–(1651)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 84 सा0 विधायी–2023–(1652)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।

515 RPH Adhiniyam folder (vidhaika- 2023)-data 8e